संख्या-21/2016/851/58-2016-207/2015

प्रेषक

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2016**

विषय:- **राज्य औद्यानिक मिशन की योजना में बैंक में अवशेष अप्रयुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यांश हेतु धनराशि रू0 9898 हजार के अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 353 बजट-आयोजनागत-2015-16 दिनांक 26.02.2016 एवं पत्र संख्या 394-95/बजट-आयोजनागत-2015-16 दिनांक 11.03.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में केन्द्र पोषित चालू योजना 'राज्य औद्यानिक मिशन' योजनान्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2013-14 के सम्परीक्षित अभिलेखों/बैलेंश-शीट के आधार पर जितनी केन्द्रांश की धनराशि उपयोग न हो पाने के फलस्वरुप बैंक में अवशेष है, उसके सापेक्ष परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न में 60:40 के अनुपात में अपेक्षित 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रु0-98.98 लाख को अवमुक्त करते हुए अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

अनुदान सं0-10 **(धनराशि हजार रुपये में)**

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**कोड सं0/मद का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान**	**अब तक अवमुक्त की जा चुकी धनराशि**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
2401-फसल कृषि कर्म- आयोजनागत- 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें- 01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें- 0101-राज्य औद्यानिक मिशन (के.85/रा.15-के.+रा.)	02-मजदूरी	2000	2000	-
	04-यात्रा व्यय	1500	750	-
	08-कार्यालय व्यय	2000	950	100
	11-लेखन सामग्री और फार्म की छपाई	2500	700	-
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	800	200	-
	13-टेलीफोन	994	628	-

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

	15-गाड़ियो का अनुरक्षण और प्रेट्रोल आदि की खरीद	7500	5750	200
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6000	3200	750
	18-प्रकाशन	2500	500	-
	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2000	1000	-
	27-सब्सिडी	507218	219348	8715
	29-अनुरक्षण	2500	200	-
	42-अन्य व्यय	20000	20000	-
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	2000	2000	-
	44-प्रशिक्षण	20000	20000	-
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1500	500	-
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2500	750	133
	योग-	**583512**	**278476**	**9898**

(रुपये अठ्ठानबे लाख अठ्ठानबे हजार मात्र)

1- केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा संशोधित नवीन पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश के क्रमश: 60:40 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में धनराशि व्यय की जायेगी। अतएव भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन तथा केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति निर्गत हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आहरण की कार्यवाही की जाय।

2- उक्त धनराशि का 50% प्रथम किश्त के रूप में आहरित करेंगे तथा उक्त धनराशि का 75% व्यय होने के उपरान्त ही शेष 50% धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में आहरित करना सुनिश्चित करेंगे।

3- प्रस्तर-1 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय, राज्य औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य औद्यानिक मिशन/जिला औद्यानिक मिशन नियमावली में निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 मे निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित नवीन फण्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

8- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

9- भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

11- यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, मिशन/उद्यान तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग सीधे उत्तरदायी होंगे।

12- प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तरीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

13- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किए जाने के निर्देश दिए गए है, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

14- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक '2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसल-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0101-राज्य औद्यानिक मिशन' के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

.....4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-21/2016-851(1)/58-2016-तद्दिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0शासन।
(7) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in